कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा

पत्रांक–सीएफओ/अ0सु0/मथुरा/2013 दिनांक. 20-4-2013

सेवा में,

प्रबंन्धक,

कृष्णा कान्हा रेजीडेन्सी प्रा0 लि0

सुनरख बांगर बृन्दावन मथुरा।

विषय :– प्रस्तावित मल्टीस्टोरी रेजीडैन्सियल विल्डिंग नंन्दिनी गोलोक धाम खसरा संख्या सं0837मोजा सुनरख बांगर बृन्दावन अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओ का प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के संम्बध में ।

संन्दर्भ :– आपका पत्रांक दिनांक17.4.2013

उपरोक्त संन्दर्भित विषय मे प्राप्त मानचित्रों के अनुसार अग्निशमन अधिकारी भूतेश्वर मथुरा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 19.4.2013के अनुसार निम्नतथ्य प्रकाश मे आये ।

ढाचागत संरचना के संबंध में:–

1 कुल प्लाट एरिया 16188.वर्गमीटरपर स्टिल्ट.+ 8वे तल का निर्माण प्रस्तावित है ।
2 स्टिल्ट फ्लोर कवर्ड एरिया पार्किग 4494.97वर्गमीटर
3 प्रथम तल से 8 वी तल तक4295.40वर्गमीटर प्रत्येक तल की एरिया निर्माण हेतु प्रस्तावित है ।
4 प्रस्तावित भवनो में चार जीने (स्टेयरकेसिस)एक मे तथा अन्य प्रस्तावित भवनो मे दो.दो झीने प्रस्तावित है जो इन्टर लोकिंग है तथा सभी भवनो मे दो.दो लिफ्ट प्रस्तावित है । तथा प्रत्येक जीना 2मीटर चौडा होना आवश्यक है ।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थायें ।

प्रस्तावित सभी चारो भवनो में (स्टिल्ट+ 8वे तल तक)प्रत्येक की छत पर 25000लीटर का टैरिस टैक पर 900 एल.पी.एम का पंम्प की स्थापना कर डाउनकमर के माध्यम से लेन्डिगवाल्व,होजरील,होजवाक्स की

क्रमशः

स्थापना प्रत्येक स्टेयरकेसिस के समीप प्रत्येक तल पर करना अनिवार्य है ।

5 प्रस्तावित भवन मे निकास मार्गो के प्रदीप्त संकेतचिन्हो की स्थापना अनिवार्य है ।

6 प्रस्तावित भवन मे आपात प्रकाश व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य है ।

7 प्रस्तावित भवन के फायर पंम्पो का कनेक्शन उर्जा के बैकल्पिक श्रोत (जनरेटर)से प्रथक सर्किट से होना अनिवार्य है ।

8 प्रस्तावित भवन के चारो ओर 9 मीटर सैटबेक छोडा जाना आवश्यक है । जो हमेशा अबरोध रहित होगा जिसमे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

9 प्रस्तावित भवन मे आई.एस कोड2190.92 के द्वारा फायर एक्सटिंग्यूसर की स्थापना अनिवार्य है ।

अतःउपरोक्तशर्तो के साथ यह अनुबंन्धात्मक प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है । उक्त अग्निशमन व्यवस्थाये उ0प्र0अग्निनिवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005के द्वारा अधिग्रहित भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008–10के अनुसार प्रस्तावित है । जिन्हे भवन के प्रयोग से पूर्व स्थापित करा कर अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपरान्त अंन्तिम रूप से पूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना वृहद जनहित मे अनिवार्य होगा । अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।

20.4.13

(बृजेन्द्र सिंह)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मथुरा

(बृजेन्द्र सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मथुरा ।

प्रतिलिपिः–

(1) सचिव मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण्र मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(2) अग्निशमन अधिकारी भूतेश्वर मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु